फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

भगवती लाल	बनाम	TO गोगुन्दा व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 64 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
16/07/2025.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट, अपीलान्ट व रैस्पोंडेन्ट संख्या-2 अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय किया जाना उचित समझा जाता है। पैरोकार सरकार द्वारा दर्शाया गया कि प्रकरण में रैस्पोंडेंट संख्या-2 औपचारिक पैरोकार हैं, जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी की हैसियत से प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021 में बाडे के रुप में आवंटित भूमि के अवैधानिक तौर पर खातेदारी में किए गए इन्द्राज को आक्षेपित किया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में चूंकि अब यह दायित्व सरकार द्वारा निर्वहन किया जा रहा है, अतः उनकी अनुपस्थिति/अपीलार्थी द्वारा उनके सम्मन प्रस्तुतिकरण में उदासीनता से प्रकरण में सरकारी पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में अवधि व अन्तिम अवसर पश्चात भी		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुपस्थित रहने से प्रकरण अभिलेख अनुसार गुणावगुण पर निर्णित किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। संक्षेप में अपील में बाड़े के अस्थाई आवंटन को खातेदारी में दर्ज इन्द्राज को निरस्त कर बिलानाम किए गए अंकन के विरुद्ध आक्षेप किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 के तहत प्रस्तुत परिवाद पर बाड़े हेतु किए गए पूर्णत: अस्थाई आवंटन को खातेदारी में दर्ज किए जाने पर बाद मौका निरीक्षण कब्जे के अभाव में आवंटन को निरस्त कर इन्द्राज दुरुस्ती संबंधी पुन: बिलानाम दर्ज की ~~कोई~~ गई कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को हम पोषणीय नहीं पाते हुए, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील निरस्त की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा का आदेश दिनांक 23/11/2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2025 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

16/07/2025

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)